न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2017/2132 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-05-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 584/अपील/2015-16

प्रदीप सिंह पुत्र स्व. श्री देवीसिंह राणावत
निवासी गंज करेदी हाऊस के सामने
राजगढ़(ब्यावरा) जिला राजगढ़ ....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती रेखा सौलंकी पत्नी स्व. श्री प्रवीण सिंह
   निवासी उद्धव नगर, राजगढ़(ब्यावरा) जिला राजगढ़
2. श्रीमती मालती बाई पत्नी स्व. श्री प्रेमबहादुर सिंह
   निवासी 7, जेल रोड़, झालावाड, जिला झालावाड (राजस्थान) ....अनावेदिकागण

श्री हर्षित शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

श्री अशरफ अली, अभिभाषक, अनावेदिकागण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 11-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिगण द्वारा तहसीलदार, राजगढ़ के नामांतरण पंजी क्रमांक 1 दिनांक 27-04-1989 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-6/2015-16 दर्ज कर दिनांक 13-05-2016 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के

विरूद्ध अनावेदिकागण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11-05-2017 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुए आवेदक अथवा अनावेदिकागण की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर नामांतरण नियमों का पालन करते हुए नये सिरे से प्रकरण दर्ज कर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय बाहय मानने में भूल की गई है अथवा नहीं एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित कर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया था, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के नामान्तरण आदेश दिनांक 27-4-89 के विरूद्ध अनावेदिकागण द्वारा लगभग 27-28 वर्ष बाद अत्यधिक विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी । तर्क यह भी कहा गया कि अनावेदिकागण द्वारा विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है और नही प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय बाहय मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिकागण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में आवेदक के विरूद्ध व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है, अत: जब तक व्यवहार न्यायालय से व्यवहार वाद का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिकागण को कोई वैधानिक हक व स्वत्व प्राप्त नहीं हैं । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदिकागण की ओर से प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । अन्त में प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना किसी आधार के त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिकागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिकागण मूल स्वामी हीरालाल की पुत्रियां है और उत्तराधिकार के आधार पर प्रश्नाधीन

भूमि के 2/3 हिस्से की हकदार हैं । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा भी उन्हें व्यवहार वाद में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण नियमों के विपरीत कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित है, जिसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा समय-सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर अनावेदिकागण की अपील निरस्त करने में विधि की भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु नये सिरे से प्रकरण दर्ज करने का आदेश देना उचित नहीं है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करने में तो कोई भूल नहीं की गई है, किन्तु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नये सिरे से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश देने में त्रुटि की गई है, जबकि अपर आयुक्त को समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत निराकरण हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना चाहिए था । अत: अपर आयुक्त के आदेश में "आवेदक अथवा अनावेदकगण की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नये सिरे से प्रकरण करने करने" सम्बन्धी अंश निरस्त करते हुए शेष आदेश यथावत रखा जाता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 11-05-2017 उक्त संशोधन के साथ स्थिर रखा जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर